



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/314

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.233/21.04.018/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण)
निदेश, 2025 (1 अप्रैल, 2026 तक अद्यतन)

विषयसूची

अध्याय-I प्रारंभिक	3
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	3
बी. प्रयोज्यता	3
अध्याय-II तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाता	4
ए. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते का प्रारूप	4
बी. संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश	4
सी. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन	4
अध्याय-III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण -लेखा संबंधी टिप्पणियाँ '	15
ए. सामान्य	15
बी. प्रस्तुति	15
सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	15
अध्याय-IV अन्य निदेश	55
ए. अंतर-शाखा खाता - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान	55
बी. नोस्ट्रो खाते का मिलान और बकाया प्रविष्टियों का निपटान	55
सी. आरक्षित निधि में अंतरण / आरक्षित निधि से विनियोजन	56
डी. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	57
ई. असमाधानित शेष राशियाँ	58



एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	58
जी. निदेशकों को शुल्क और भत्तों का भुगतान	58
एच. विंडो ड्रेसिंग	58
 अध्याय-V निरसन एवं अन्य प्रावधान	 60
ए. निरसन और बचत	60
बी. अन्य कानूनों को लागू करना प्रतिबंधित नहीं है।	61
सी. व्याख्याएं	61



बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय-1 प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होने के दिन से प्रभावी होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश ग्रामीण सहकारी बैंकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'बैंक' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

इस संदर्भ में, 'ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी)' से तात्पर्य राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक से है, जैसा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में परिभाषित है।



अध्याय-II तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाता

ए. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते का प्रारूप

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार, आरसीबी द्वारा किए गए सभी व्यवसाय के संबंध में, वर्ष अथवा अवधि के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तैयार करेगा, जैसा भी मामला हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 56 के खंड (यठ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

बी. संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश

5. बैंक को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखा मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में जारी घोषणाओं का पालन करना होगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन होंगी। आईसीएआई की वर्तमान घोषणाओं के अनुसार, सहकारी बैंकों को स्तर 1 के उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्तर 1 के उद्यमों को सभी लेखा मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

नोट: संकलन के निदेशों में किसी गतिविधि, लेनदेन या मद का उल्लेख मात्र यह नहीं दर्शाता है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा का निर्धारण करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का संदर्भ देगा।

सी. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

6. बैंक के लिए कुछ लेखा मानकों के अनुप्रयोग में प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित का भी पालन करेगा।
 - (1) **लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**
 - (i) इस मानक का उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में कतिपय मदों का वर्गीकरण और प्रकटीकरण निर्धारित करना है ताकि सभी उद्यम एकसमान आधार पर इस तरह का विवरण तैयार और प्रस्तुत कर सकें।
 - (ii) तदनुसार इस मानक के लिए असाधारण और पूर्ववर्ती मदों का वर्गीकरण और प्रकटीकरण तथा सामान्य गतिविधियों से लाभ अथवा हानि के भीतर कुछ मदों का प्रकटीकरण आवश्यक है। यह लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के



संबंध में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरणों के लिए लेखांकन उपचार भी निर्दिष्ट करता है।

- (iii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों पर विवरण के प्रस्तावना के पैराग्राफ 4.3 में कहा गया है कि लेखांकन मानक केवल उन मदों पर लागू करने के लिए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। चूंकि महत्वपूर्णता को निष्पक्ष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों को पूर्व अवधि आय अथवा पूर्व अवधि व्यय की किसी भी मद के संबंध में लेखांकन मानक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जो बैंक की कुल आय / कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हो यदि आय / व्यय को सकल आधार पर गिना जाता है, अथवा करें अथवा निवल हानि के पहले निवल लाभ का एक प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- (iv) चूंकि बैंक अधिनियम की तीसरी अनुसूची के तहत फॉर्म बी में निर्धारित बैंकों के लाभ और हानि खातों का प्रारूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि की मदों के प्रभाव के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान नहीं करता है, ऐसा प्रकटीकरण, जहां भी आवश्यक हो, बैंक के तुलन-पत्र में 'खातों के लिए नोट' में किया जा सकता है।

(2) लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

- (i) गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों के मामले में बैंकों द्वारा आय की गैर-मान्यता, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि यह मानक के प्रावधान के अनुरूप होगा, क्योंकि यह राजस्व की मान्यता के स्थगन को मान्यता देता है जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है।

(3) लेखांकन मानक 11 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

- (i) जैसा कि 11 विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों के लिए लेखांकन के संदर्भ में और विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में लागू किया गया है। इस संदर्भ में उत्पन्न मुद्दों की पहचान की गई है और बैंक को मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा:
- (ii) **विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज करने के लिए विनिमय दर:** मानक के अनुच्छेद 9 और 21 के अनुसार, किसी विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक मान्यता के समय रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज करते समय, लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर



को विदेशी मुद्रा राशि पर लागू किया जाएगा। बैंक को उन मदों के संबंध में लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने में कठिनाई हो सकती है जिन्हें भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किया जा रहा है अथवा जिन्हें वर्तमान में नोशनल विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया जा रहा है।

(iii) जो बैंक एएस 11 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर लागू करने में सक्षम है, उसे आवश्यकताओं का पालन करना होगा। जिस बैंक का व्यापक शाखा नेटवर्क है, जिसमें विदेशी मुद्रा लेनदेन की मात्रा अधिक है और जो तकनीकी रूप से पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, उसे निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

(ए) मानक के पैराग्राफ 10 में इस दर का प्रयोग व्यावहारिक कारणों से किया जाता है जो लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर का अनुमान है। मानक में यह भी कहा गया है कि यदि विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव है तो एक अवधि के लिए औसत दर का प्रयोग विश्वसनीय नहीं है। चूंकि उद्यमों को इसके घटित होने की तारीख पर लेन-देन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, इसलिए संबंधित सप्ताह में होने वाले लेनदेनों को रिकॉर्ड करने के लिए पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद होने की दर का उपयोग किया जा सकता है, यदि वह लेन-देन की तारीख पर वास्तविक दर का लगभग समान हो। लेनदेन की तिथियों पर विनिमय दरों को लागू करने में किसी बैंक के पास होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि मानक किसी दर का उपयोग करने की अनुमति देता है जो लेनदेन की तारीख में वास्तविक दर का अनुमान करता है, बैंक नीचे दिए गए अनुसार औसत दरों का उपयोग कर सकता है :

(बी) फेडआई प्रत्येक सप्ताह के अंत में साप्ताहिक औसत बंद होने की दर तथा विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में तिमाही औसत बंद होने की दर प्रकाशित करता है।

(सी) भारतीय शाखाओं और अभिन्न विदेशी परिचालनों के संबंध में, ऐसे विदेशी मुद्रा लेनदेन, जो वर्तमान में लेनदेन की तारीख से भारतीय रुपए में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं अथवा किसी नोशनल विनिमय दर का उपयोग करके रिकार्ड किए जा रहे हैं, को अब लेनदेन की तारीख पर फेडआई द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत अंतिम दर का उपयोग



करके दर्ज किया जाएगा, यदि वह लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर का अनुमान लगाता है।

(डी) यदि पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर लेन-देन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर नहीं है, तो लेन-देन की तिथि पर प्रचलित समापन दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित वास्तविक दर के लगभग बराबर नहीं माना जाएगा यदि (क) पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर और (ख) लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के बीच का अंतर (ख) के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक हो।

(ई) बैंक को विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज करने के लिए स्वयं को सुसज्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(iv) समापन दर

मानक के अनुच्छेद 7 में 'समापन दर' को तुलन-पत्र की तिथि पर विनिमय दर के रूप में परिभाषित किया गया है। बैंकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए लेखांकन मानक 11 (संशोधित 2003) के प्रयोजनों के लिए लागू की जाने वाली समापन दर, उस लेखा अवधि के लिए फेडआई द्वारा घोषित अंतिम समापन स्पॉट विनिमय दर होगी।

(4) लेखा मानक 17 – प्रखण्ड लेखांकन 'एस 17 – सेगमेंट रिपोर्टिंग' के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए सांकेतिक प्रारूप नीचे दिए गए हैं।

प्रारूप

भाग अ: कारोबार संवर्गभाग

(करोड़ रुपये में)

व्यावसायिक क्षेत्र	कोषागार		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व										
परिणाम										
असंबद्ध खर्च										
परिचालन लाभ										
आयकर										



व्यावसायिक क्षेत्र	कोषागार		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ										
अन्य जानकारी:										
सेगमेंट आस्ति										
असंबद्ध आस्ति										
कुल आस्तियां										
सेगमेंट देनदारियां										
असंबद्ध देनदारियां										
कुल देनदारियां										

नोट: छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है

नोट:

(ए) व्यावसायिक खंड कोषागार', कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग', खुदरा बैंकिंग' और अन्य बैंकिंग परिचालन' होंगे।

(बी) बैंक उचित और सुसंगत आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यय के आवंटन के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों को अपनाएगा।

(सी) कोषागार' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।

(डी) खुदरा बैंकिंग में वे ऋण शामिल होंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित खुदरा ऋणों के लिए अभिविन्यास, उत्पाद, सूक्ष्मता और व्यक्तिगत ऋणों के निम्न मूल्य के चार मानदंडों को पूरा करते हैं। एएस- 17 के अंतर्गत रिपोर्टिंग के उद्देश्य से व्यक्तिगत आवास ऋण भी खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा होंगे।



(ई) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग में ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं, जो खुदरा बैंकिंग 'के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। (एफ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय में वे सभी बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं जो ट्रेजरी, थोक बैंकिंग 'और खुदरा बैंकिंग 'खंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसमें पैरा-बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियाँ जैसी सभी अन्य अवशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल होंगी।

(जी) उपर्युक्त खंडों के अतिरिक्त, एक बैंक को 'अन्य बैंकिंग व्यवसाय 'के अंतर्गत अतिरिक्त खंडों की रिपोर्ट करनी होगी जो रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं।

(5) **लेखांकन मानक 18 – सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति** एएस 18 के अनुच्छेद 23 से 26 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरणों का तरीका नीचे दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नीचे दिया गया प्रारूप केवल उदाहरण के तौर पर है और संपूर्ण नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)

आइटम/संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियाँ	एसोसिएट्स/ज्वाइंट वेंचर्स	अत्यंत महत्वपूर्ण मैनेजमेंट कर्मी	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधार [#]						
जमा [#]						
जमा का स्थान [#]						
अग्रिम [#]						
निवेश [#]						
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं [#]						
लीजिंग/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया [#]						
लीजिंग/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई [#]						
अचल आस्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों की बिक्री						
ब्याज का भुगतान प्राप्त व्याज						
सेवाओं का प्रतिपादन [*]						



आइटम/संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियां	एसोसिएट्स/ज्वाइंट वेंचर्स	अत्यंत महत्वपूर्ण मैनेजमेंट कर्मी	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
सेवाओं का प्राप्त करना*						
प्रबंधन करार *						

वर्ष के अंत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है।

* संविदा सेवाएं आदि, न कि धन प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं।

नोट:

i) किसी बैंक के लिए संबंधित पक्ष उसके मूल संस्थान, सहायक कंपनियां, सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार होते हैं। केएमपी भारतीय बैंक के पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। केएमपी के रिश्तेदारों का विवरण आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एस में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।

ii) संबंधित पक्ष संबंधों का नाम और प्रकृति प्रकट की जाएगी, चाहे लेन-देन हुए हों अथवा नहीं, जहां मानक के अर्थ के अनुसार नियंत्रण मौजूद हो। सामान्यतः, मूल-सहायक कंपनी संबंध के मामले में नियंत्रण मौजूद होता है। प्रकटीकरण उपरोक्त संबंधित पक्ष श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए कुल योग तक सीमित हो सकता है और यह वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति से संबंधित होगा।

iii) गोपनीयता प्रावधान: यदि संबंधित पक्षों की उपरोक्त श्रेणी में केवल एक ही संबंधित पक्ष इकाई है, तो किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण ग्राहक की गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा। एस 18 के अनुसार, प्रकटीकरण की आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होतीं जब ऐसे प्रकटीकरण करना रिपोर्टिंग उद्यम के गोपनीयता संबंधी कर्तव्यों के विपरीत हो, जैसा कि किसी कानून, नियामक अथवा इसी प्रकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनिवार्य किया गया हो। इसके अतिरिक्त, यदि किसी उद्यम को नियंत्रित करने वाला कोई कानून अथवा नियामक उद्यम को कुछ ऐसी जानकारी प्रकट करने से रोकता है, जिसे प्रकट करना आवश्यक है, तो ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण न करना लेखा मानकों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ग्राहक विवरणों की गोपनीयता बनाए रखने के बैंक के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सामान्य कानून कर्तव्य के कारण, उसे ऐसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां लेखांकन मानकों के तहत किए गए प्रकटीकरण किसी भी श्रेणी के संबंधित पक्ष



के संबंध में एकत्रित प्रकटीकरण नहीं हैं, यानी जहां संबंधित पक्ष की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही इकाई है, वहां बैंक को उस संबंधित पक्ष के साथ संबंध के अतिरिक्त उस संबंधित पक्ष से संबंधित कोई भी विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में निवेशो हेतु लेखांकन (सीएफएस)

- (ए) यह लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में, सहयोगी कंपनियों में किए गए निवेशों के समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों को पहचानने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- (बी) मानक के अनुसार, किसी सहयोगी कंपनी में किए गए निवेश को कुछ अपवादों के अधीन इक्विटी पद्धति के तहत सीएफएस में लेखांकित किया जाना आवश्यक है।
- (सी) 'सहयोगी' शब्द को एक ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो निवेशक की सहायक कंपनी है और न ही संयुक्त उद्यम है।
- (डी) 'महत्वपूर्ण प्रभाव' का अर्थ है निवेशित कंपनी के वित्तीय और/या परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति, लेकिन उन नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण न होना। ऐसा प्रभाव शेयर स्वामित्व, कानून अथवा समझौते के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- (ई) शेयर स्वामित्व के संबंध में, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष अथवा सहायक कंपनियों के माध्यम से निवेशित कंपनी की 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मतदान शक्ति रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाए कि ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष अथवा सहायक कंपनियों के माध्यम से निवेशित कंपनी की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाए। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त अथवा बहुमत स्वामित्व होने से किसी निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होना आवश्यक रूप से समाप्त नहीं हो जाता।
- (एफ) मुद्दा यह है कि क्या किसी बैंक द्वारा किसी उद्यम में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने से, जिसके तहत बैंक की 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हो जाती है, एस 23 के प्रयोजन के लिए निवेशक-सहयोगी संबंध स्थापित होगा। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कोई बैंक अपने ऋणों की पूर्ति के लिए उधारकर्ता इकाई में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति प्राप्त कर लेता है, फिर भी वह यह सिद्ध कर सकता है कि उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति नहीं है,



क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार सुरक्षात्मक प्रकृति के हैं, न कि सहभागी। ऐसी स्थिति में, इस लेखा मानक के अंतर्गत ऐसे निवेश को सहयोगी में निवेश नहीं माना जा सकता है। अतः, परीक्षण केवल निवेश के अनुपात पर आधारित नहीं होगा, बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति प्राप्त करने के इरादे पर आधारित होगा।

(7) लेखा मानक 24 - संचालन बंद करना

- (i) यह मानक परिचालनों को समाप्त करने के बारे में जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद किए जाने पर लागू नहीं होगा
- (ii) प्रकटीकरण केवल तभी मानक के तहत आवश्यक होंगे:
 - (ए) परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारी से मुक्ति और परिसंपत्तियों की वसूली हुई है, या उपरोक्त प्रभाव डालने वाले किसी परिचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है और
 - (बी) बंद किया गया संचालन अपनी संपूर्णता में पर्याप्त है।

(8) लेखा मानक 25 – अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

- (i) यह मानक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम सामग्री और अंतरिम अवधि के लिए पूर्ण अथवा संक्षिप्त वित्तीय विवरणों में मान्यता और माप के सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

(9) लेखा मानक 26 – अमूर्त आस्ति

- (i) यह मानक उन अमूर्त आस्तियों के लेखांकन उपचार को निर्धारित करता है जिनका उल्लेख किसी अन्य लेखा मानक में विशेष रूप से नहीं किया गया है। बैंक के उपयोग के लिए अनुकूलित और कुछ समय तक उपयोग में रहने की उम्मीद वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में, मानक में निर्धारित विस्तृत पहचान और परिशोधन सिद्धांत इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है और बैंक द्वारा इसका पालन किया जा सकता है।
- (ii) यह ध्यान दिया जा सकता है कि एएस 26 के अनुपालन में बैंक की तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त और दर्ज की गई अमूर्त संपत्तियां बीआर अधिनियम 1949 की धारा 15(1) के प्रावधानों को



आकर्षित करेंगी, जिसके अनुसार बैंक को किसी भी लाभांश की घोषणा करने से तब तक प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि कोई भी व्यय जो मूर्त संपत्तियों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तुलन-पत्र में दर्ज नहीं किया जाता है।

- (iii) कोई बैंक जो अपनी पुस्तकों में किसी भी अमूर्त संपत्ति को रखते हुए लाभांश का भुगतान करना चाहता है, उसे केंद्र सरकार से बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 15(1) से छूट प्राप्त करनी होगी।

(10) लेखा मानक 27 - संयुक्त उद्यम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन - यह मानक संयुक्त उद्यमों में हितों के लेखांकन और उद्यमों और निवेशकों के वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्टिंग में लागू होता है, चाहे संयुक्त उद्यम गतिविधियां किसी भी संरचना अथवा रूप में हों।

- (i) यह मानक संयुक्त उद्यमों के तीन व्यापक प्रकारों की पहचान करता है, अर्थात्, संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ।
- (ii) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के मामले में, जहाँ बैंक को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा-जोखा इस मानक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के रूप में संयुक्त उद्यमों के संबंध में, यह लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों के साथ-साथ वित्तीय विवरण (सीएफएस) दोनों के लिए लागू होता है।
- (iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि लेखा मानक के अनुच्छेद 26 में यह निर्धारित है कि एकल वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश को एएस 13 के अनुसार लेखांकित किया जाना है, ऐसे निवेश को बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार दर्शाया जाना है क्योंकि एएस 13 बैंकों पर लागू नहीं होता है।

(11) लेखा मानक 28 - संपत्तियों में व्यवधान

- (i) यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिनका पालन कोई उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसकी आस्तियों का मूल्य उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मानक इन्वेंट्री, निवेश और अन्य वित्तीय आस्तियों जैसे



ऋण और अग्रिमों पर लागू नहीं होगा और सामान्यतः किसी बैंक पर अचल आस्तियों के संबंध में लागू होगा।

- (ii) यह मानक सामान्यतः वित्तीय पट्टे की आस्तियों और दावों के निपटान में अधिग्रहित गैर-बैंकिंग आस्तियों पर तभी लागू होगा जब इकाई के मूल्यहास के संकेत स्पष्ट हों।



अध्याय-III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ'

7. बैंक को वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में इस अध्याय में निर्दिष्ट जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा।

स्पष्टीकरण 1: ये प्रकटीकरण केवल अन्य कानूनों, विनियमों अथवा लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के पूरक हैं, न कि उनके स्थान पर।

स्पष्टीकरण 2: बैंक को इन निदेशों के तहत आवश्यक न्यूनतम से अधिक व्यापक प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं।

ए. सामान्य

8. इन निदेशों में सूचीबद्ध मदों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में किया जाएगा। जहां आवश्यक हो, बैंक को अतिरिक्त प्रकटीकरण करने होंगे।

बी. प्रस्तुति

9. तुलन-पत्र की अनुसूचियों के अतिरिक्त, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का सारांश और 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' अलग अनुसूचियों के रूप में प्रकट की जाएंगी।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

10. बैंक को कम से कम निम्नलिखित जानकारी 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में देनी होगी। बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेनदेन अथवा मद का मात्र उल्लेख यह नहीं दर्शाता कि वह अनुमत है, और किसी गतिविधि अथवा लेनदेन की अनुमति अथवा अवैधता निर्धारित करते समय बैंक को मौजूदा सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं का संदर्भ लेना होगा। बैंक को वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई सभी राशियों के लिए पिछली अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी देनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक हो, तो बैंक को वर्णनात्मक और विस्तृत जानकारी के लिए भी तुलनात्मक जानकारी शामिल करनी होगी।

(1) विनियामक पूंजी

(i) नियामक पूंजी की संरचना



(राशि ₹ करोड़ में)

Sr. No.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	भुगतानित शेयर पूंजी और आरक्षित निधि (कटौतियों के बाद, यदि कोई हो)		
ii)	अन्य टियर 1 पूंजी		
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)		
iv)	टियर 2 पूंजी		
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)		
vii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
viii)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		
ix)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
x)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि		
xi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: इंस्ट्रुमेंट के प्रकार के अनुसार सूची दें* (स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर, स्थायी ऋण उपकरण, आदि)।		
xii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से ** लिखत के प्रकार (स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर, स्थायी ऋण लिखत, आदि) के अनुसार सूची दें।		

* उदाहरण: एक बैंक निम्नलिखित जानकारी प्रकट कर सकता है।

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
इस दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि year of which:	###	###
a) शाश्वत गैर-संचयी वरीयता शेयर	###	###
b) शाश्वत ऋण साधन	###	###

** उदाहरण: एक बैंक निम्नलिखित प्रकार से जानकारी प्रकट कर सकता है

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
जिस वर्ष के दौरान टियर 2 पूंजी की राशि जुटाई गई:	###	###



a) शाश्वत संचयी वरीयता शेयर	###	###
b) दीर्घकालिक अधीनस्थ ऋण लिखत	###	###
c)	###	###

(ii) आरक्षित निधि से निकासी

आरक्षित निधि से किसी भी प्रकार की निकासी के संबंध में निकासी की राशि और उसके औचित्य का उल्लेख करते हुए उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

(2) आस्ति देयता प्रबंधन

(i) आस्तियों और देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक	3 साल से अधिक और 5 साल तक	5 से अधिक वर्षों	कुल
जमा												
अग्रिम												
निवेश												
उधार												
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ												
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ												

नोट: बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित रूप में, द्वारा निर्देशित किया जाएगा।



(3) निवेश

(i) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष में निवेश						पिछला वर्ष में निवेश					
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड	अन्य	कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड	अन्य	कुल निवेश
स्थायी												
सकल												
घटाएँ: अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान												
निवल												
वर्तमान												
सकल												
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												



निवल												
कुल निवेश												
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान												
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान												
निवल												



(ii) निवेशों पर मूल्यहास, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) के प्रावधानों का स्थानांतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) निवेश और एनपीआई के मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों की आवाजाही ए) प्रारम्भिक शेष बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते/राइट बैक में डालना डी) अंतिम शेष ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन a) ए) प्रारम्भिक शेष बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी/ गिरावट डी) अंतिम शेष iii) चालू श्रेणी में निवेशों के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में समापन शेष [वहन मूल्य में से निवल मूल्यहास (निवल मूल्यवृद्धि को अनदेखा करते हुए) घटाने पर प्राप्त निवल राशि, अर्थात् तुलन-पत्र में दर्शाई गई निवल राशि]		

(iii) स्थायी श्रेणी से / में विक्रय एवं स्थानांतरण

स्थायी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एक आरसीबी को वित्तीय विवरणों के 'लेखांकन की टिप्पणियों' में प्रकटीकरण करना होगा।

(iv) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(ए) निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	चालू	पिछला
ए)	प्रारंभिक शेष		
बी)	1 अप्रैल के बाद के वर्ष के दौरान परिवर्धन		



क्रम	विवरण	चालू	पिछला
सी)	उक्त अवधि के दौरान कटौती		
डी)	समापन शेष राशि		
ई)	कुल प्रावधान रखे गए		

(बी) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	जारीकर्ता	धनराशि		निजी प्लेसमेंट की सीमा		निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतियों का दायरा		अमूल्यांकित प्रतिभूतियों का दायरा		गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का दायरा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ए)	पीएसयू										
बी)	वित्तीय संस्थान										
सी)	बैंक										
डी)	निजी कॉर्पोरेट्स										
ई)	सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम										
एफ)	अन्य										
जी)	मूल्यहास के लिए रखा गया प्रावधान										
	कुल										

नोट:

1. किसी बैंक के लिए कुल राशि बैंक द्वारा धारित गैर-एसएलआर निवेशों की कुल राशि के बराबर होनी चाहिए।
2. ऊपर कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं।



(v) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च तक बकाया	
	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
a) सरकारी प्रतिभूतियाँ								
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ								
c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
a) सरकारी प्रतिभूतियाँ								
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ								
c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								

नोट:

- (i) प्रकटीकरण [भारतीय रिज़र्व बैंक \(पुनर्खरीद लेनदेन \(रेपो\)\) निदेश, 2025](#) में समय-समय पर संशोधित रूप में निर्दिष्ट अनुसार होगा। सुगम संदर्भ के लिए, इस मुख्य निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(vi) सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

दिनांक ... (चालू वर्ष की तुलन-पत्र तिथि) तक

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन- देन की कुल मात्रा	31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					



	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन- देन की कुल मात्रा	31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

दिनांक ... (पिछला वर्ष की तुलन-पत्र तिथि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन- देन की कुल मात्रा	31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

नोट: प्रकटीकरण [भारतीय रिज़र्व बैंक \(सरकारी प्रतिभूति उधार\) निदेश, 2023](#) में समय-समय पर संशोधित रूप में निर्दिष्ट अनुसार होगा। सुगम संदर्भ के लिए, इस निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(4) आस्ति गुणवत्ता

(i) अग्रिमों और रखे गए प्रावधानों का वर्गीकरण

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	उप-मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त कार्य						
कम: वर्ष के दौरान कटौती *						
जमा शेष						
* सकल निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में कमी के कारण:						
i) उन्नयन						
ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर)						
iii) तकनीकी/प्रूडेंशियल राइट-ऑफ						
iv) उपरोक्त (iii) के तहत राइट-ऑफ के अलावा अन्य राइट-ऑफ						
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)						
आयोजित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान						
कम: अतिरिक्त प्रावधान उलटा/बट्टे खाते में डाले गए ऋण						
आयोजित प्रावधानों का समापन शेष						



	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	उप-मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम	
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान ताजा परिवर्धन						
कम: वर्ष के दौरान कटौती						
समापन शेष						
फ्लोटिंग प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
कम: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि						
(निकाली गई राशि का कारण तालिका के नीचे दिए गए नोट में समझाया जा सकता है)						
फ्लोटिंग प्रावधानों का क्लोजिंग बैलेंस						
तकनीकी बट्टे खाते डालने और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते का शेष						



	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	उप-मानक	संदिग्ध	नुकसान	कुल अनर्जक अग्रिम	
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफजोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ						
कम: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूली						
समापन शेष						
नोट : 1) लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में जानकारी देते समय, बैंक तुलना में सुविधा के लिए चालू और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा। 2) तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना शाखाओं के बहीखातों में बकाया अनर्जक ऋणों का, जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तकनीकी बट्टे खाते में डालने की पुष्टि सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। 3) जहां तक दूसरे स्तर की पूंजी के लिए फ्लोटिंग प्रावधानों की गणना नहीं की गई है, उन्हें सकल एनपीए से घटाकर निवल एनपीए प्राप्त किया जा सकता है।						

अनुपात (प्रतिशत में) (लागू नियामक अनुदेशों के अनुसार गणना की जाएगी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम		
नेट एडवांस के लिए नेट एनपीए		
प्रावधान कवरेज अनुपात		



(ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र*	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		उत्कृष्ट कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए और कुल अग्रिम का प्रतिशत	उत्कृष्ट कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए और कुल अग्रिम का प्रतिशत
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियां						
बी)	उद्योग						
सी)	सेवाएं						
डी)	व्यक्तिगत ऋण						
	उप -कुल (ii)						
	कुल (I + ii)						
* बैंक को उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी प्रकटीकरण करना होगा जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक द्वारा खनन उद्योग को दिए गए बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, तो बैंक को खनन को दिए गए अपने बकाया अग्रिमों का विवरण उपरोक्त प्रारूप में 'उद्योग' क्षेत्र के अंतर्गत अलग से प्रकट करना होगा।							

(iii) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल आस्ति		
कुल एनपीए		
कुल राजस्व		

नोट: यदि किसी बैंक के पास चालू और पिछले वर्ष दोनों में कोई विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व नहीं हैं, तो वह इस जानकारी को छोड़ सकता है।

(iv) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण (जैसा कि लागू विनियमों के अनुसार परिभाषित किया गया है)

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ		कॉरपोरेट्स (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल धनराशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान (₹ करोड़)										
उप-मानक	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल धनराशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान (₹ करोड़)										
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल धनराशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान (₹ करोड़)										
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या										
	सकल धनराशि (₹ करोड़)										
	प्रावधान (₹ करोड़)										

नोट: एक बैंक को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन-पत्र में उन खातों की संख्या और विवरण देना होगा जिनके संबंध में पुनर्गठन के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, लेकिन पुनर्गठन पैकेज अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(v) ऋण जोखिम के अंतरण का प्रकटीकरण

एक बैंक अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' के अंतर्गत, कुल से संबंधित उचित प्रकटीकरण करेगा डिफ़ॉल्ट में नहीं आए ऋणों / तनावग्रस्त ऋणों के कुल योग से

संबंधित, जैसा कि नीचे निर्धारित है, त्रैमासिक आधार पर, अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित और उनसे अधिग्रहित ऋणों के आधार पर:

(ए) डिफॉल्ट न हुए ऋणों के अंतरण अथवा अधिग्रहण के संबंध में, प्रकटीकरण में भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत धारण अवधि, लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण, मूल प्रतिभूति कवरेज का दायरा और रेटिंग-वार रेटेड ऋणों का वितरण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से, अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का प्रकटीकरण करना होगा जहां उसने हस्तांतरित ऋणों को हस्तांतरिती(यों) को बदलने अथवा किसी भी प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी से उत्पन्न क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रकटीकरण में असाइनमेंट/नोवेशन और ऋण भागीदारी के माध्यम से हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विस्तृत विवरण भी शामिल होगा।

(बी) हस्तांतरित अथवा अधिग्रहीत संकटग्रस्त ऋणों के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे।:

वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए संकटग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग विवरण दिया जाना चाहिए)			
(सभी राशि ₹ करोड़ ₹में)	एआरसी के लिए	अनुमत अंतरणकर्ताओं के लिए	अन्य स्थानांतरणकर्ताओं के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या:			
हस्तांतरित ऋणों की कुल बकाया मूल राशि			
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए संकटग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग विवरण दिया जाना चाहिए)			
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)			
समग्र विचार			
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल			
वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों का विवरण			
(सभी राशि (करोड़ रुपये में))	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, लघु वित्त बैंकों और आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है।		एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों की कुल बकाया मूल राशि			
कुल भुगतान की गई राशि			
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

(सी) अंतरणकर्ता (अंतरणकर्ताओं) को संकटग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ-हानि खाते में समायोजित की गई अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में उचित प्रकटीकरण करना होगा। साथ ही, ऋणदाता को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे ऋणों को आवंटित विभिन्न वसूली रेटिंग

श्रेणियों के अनुसार उनके पास मौजूद ऋण संबंधी प्रतिभूतियों (एसआर) के वितरण का भी प्रकटीकरण करना होगा।

नोट: लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में जानकारी देते समय, तुलना को सुगम बनाने के लिए बैंक चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा।

(vi) **गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं**

बैंक को गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में प्रकट करना होगा।

		31 मार्च, 20XX तक	31 मार्च, 20XX तक	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष
		सुरक्षित* भाग	असुरक्षित भाग	सुरक्षित* भाग	असुरक्षित भाग
I	बकाया गारंटी (₹ करोड़)				
	i) भारत में				
	ii) भारत के बाहर				
II	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व (₹ करोड़)				
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं (₹ करोड़)				
* सुरक्षित भाग को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित किया गया है।					

नोट: राष्ट्रीय सहकारी बैंक (एनएफबी) ऋण सीमा के संबंध में, बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ये निदेश 1 अप्रैल, 2026 से अथवा बैंक द्वारा

अपनी आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित किसी भी पूर्व तिथि से ("प्रभावी तिथि") लागू होंगे। प्रभावी तिथि के बाद किसी भी नई एनएफबी सुविधा का विस्तार और मौजूदा एनएफबी सुविधा का नवीनीकरण इन निदेशों के अनुसार किया जाएगा। प्रभावी तिथि तक विस्तारित/नवीनीकृत सभी मौजूदा एनएफबी सुविधाएं संबंधित बैंक पर लागू मौजूदा निदेशों द्वारा शासित होंगी।

(vii) धोखाधड़ी वाले खाते

एक बैंक को धोखाधड़ी की संख्या और के साथ-साथ उस पर किए गए प्रावधानों का विवरण नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार प्रकट करना होगा।

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या		
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)		
इस प्रकार की धोखाधड़ी के लिए निर्धारित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट की गई अप्रतिबंधित प्रावधान राशि (₹ करोड़) ऐसे धोखाधड़ी के लिए किया गया प्रावधान (₹ करोड़)		

(viii) कोविड-19 से संबंधित तनाव के समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष अवधि दी गई है ताकि ऋणदाता पात्र कॉर्पोरेट ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में समाधान योजना लागू कर सकें, और ऐसे ऋणों को मानक ऋण के रूप में वर्गीकृत कर सकें। बैंक को नीचे दिए गए प्रारूप में प्रत्येक छमाही में, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों में, 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली छमाही से लेकर उन सभी ऋणों के पूरी तरह समाप्त होने अथवा पूरी तरह से निष्पादित आस्ति (एनपीए) में परिवर्तित होने तक, जो भी पहले हो, प्रकटीकरण करना होगा।

30 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली छमाही आधार पर की जाने वाली सूचनाओं का प्रारूप

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	संकल्प योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति जोखिम – पिछली छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हुआ कुल ऋण	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति जोखिम – इस छमाही के अंत तक की स्थिति
व्यक्तिगत ऋण					
कॉर्पोरेट व्यक्ति *					
जिनमें से एम.एस.एम.ई					
अन्य					
कुल					

* दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार

नोट: जो बैंक लिस्टिंग की आवश्यकताओं अथवा अन्य किसी कारण से त्रैमासिक/छमाही विवरण प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं हैं, वे वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूरे वर्ष के लिए जानकारी देंगे।

(5) एक्सपोजर

(i) रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
--------	-----------	------------

i) प्रत्यक्ष प्रदर्शन एक्सपोजर ए) आवासीय बंधक आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित ऋण, जो उधारकर्ता द्वारा वर्तमान में अथवा भविष्य में उपयोग में लाई जा रही हो अथवा किराए पर दी गई हो। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। सी) मॉर्टगेज-बैकड सिक्क्योरिटीज (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश i. आवासीय ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में फंड आधारित और गैर-फंड आधारित एक्सपोजर।		
रियल एस्टेट सेक्टर में पूर्ण एक्सपोजर		

(ii) पूंजी बाजार के प्रति जोखिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;		
ii) शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले अथवा स्वच्छ आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए अग्रिम;		
iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं; iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयां प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं;		
iv) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों / परिवर्तनीय बॉन्ड / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;		
vi) नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए, संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में, शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले अथवा स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;		
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/जारी किए जाने के बदले कंपनियों को दिए जाने वाले ब्रिज लोन;		
viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं;		
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण;		
x) वेंचर कैपिटल फंड (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में निवेश से संबंधित सभी प्रकार के जोखिम		
पूंजी बाजार में कुल जोखिम		

नोट: कोई बैंक उन मदों को छोड़ सकता है जो लागू नहीं हैं / अनुमत नहीं हैं अथवा जिनका चालू और पिछले वर्ष दोनों में शून्य जोखिम है।

(iii) जोखिम श्रेणीवार देश का एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी*	मार्च तक कुल एक्सपोजर (नेट)... (चालू वर्ष)	मार्च तक उपलब्ध प्रावधान... (चालू वर्ष)	मार्च तक कुल एक्सपोजर (नेट)... (पिछला वर्ष)	मार्च तक उपलब्ध प्रावधान... (पिछला वर्ष)
निरर्थक				
कम				
मध्यम रूप से कम				
मध्यम				
मध्यम रूप से उच्च				
उच्च				
सर्वोच्च				
कुल				

* जब तक कोई बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणाली को नहीं अपना लेता, तब तक वह देश के जोखिमों के वर्गीकरण और प्रावधान करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाई गई सात-श्रेणी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करेगा। ईसीजीसी अनुरोध करने पर बैंक को उनके देश वर्गीकरण की त्रैमासिक अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव की स्थिति में बैंकों को सूचित भी करेगा।

नोट: यदि किसी बैंक को चालू और पिछले वर्ष दोनों में देश के जोखिम का कोई जोखिम नहीं है, तो वह देश के जोखिम का उल्लेख करते हुए तालिका का प्रकटीकरण न करने का विकल्प चुन सकता है।

(iv) असुरक्षित अग्रिम

एक बैंक को कुल उन अग्रिमों का प्रकटीकरण करना होगा जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं, साथ ही निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी बताना होगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक के कुल असुरक्षित ऋण		
उपरोक्त में से, वह अग्रिम राशि जिसके लिए अधिकारों, लाइसेंसें, प्राधिकरण आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं।		
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य		

(v) **फैक्टरिंग एक्सपोजर** फैक्टरिंग से संबंधित एक्सपोजर का अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(vi) **ग्रामीण सहकारी बैंकों का जोखिम**

बैंक को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने जोखिम का विवरण प्रकट करना होगा।:

(ए) राज्य सहकारी बैंक

क्र.सं.	एक्सपोजर से	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल अनर्जक अग्रिम (₹ करोड़)	कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल अनर्जक अग्रिम (₹ करोड़)
	केंद्रीय सहकारी बैंक						
	शीर्ष समाज						
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- ऋण देने के संबंध में						
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ - अन्य एक्सपोजर						
	अन्य क्रेडिट सोसायटी						

क्र.सं.	एक्सपोजर से	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल अनर्जक अग्रिम (₹ करोड़)	कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल अनर्जक अग्रिम (₹ करोड़)
	अन्य गैर-ऋण सहकारी समितियाँ						
	कंपनियाँ						
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						

(बी) केंद्रीय सहकारी बैंक

क्र.सं.	एक्सपोजर से	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल अनर्जक अग्रिम (₹ करोड़)	कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये)	अग्रिम (₹ करोड़)	जिसमें से सकल अनर्जक अग्रिम (₹ करोड़)
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- ऋण देने के संबंध में						
	पीएसी- अन्य एक्सपोजर						
	अन्य क्रेडिट सोसायटी						
	अन्य गैर-ऋण सहकारी समितियाँ						
	कंपनी						
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						

(vii) सोने और चांदी की गिरवी के बदले ऋण

(ए) पात्र स्वर्ण और रजत संपार्श्विक के बदले दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	ऋण बकाया है		औसत टिकट का आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
1. वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक शेष [(ए)+(बी)]					
(ए) उपभोग ऋण					
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(बी) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					
2. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए नए ऋण [(सी) + (डी)]					लागू नहीं
(सी) उपभोग ऋण					लागू नहीं
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					लागू नहीं
(डी) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					लागू नहीं
3. चालू वित्त वर्ष के दौरान नवीकरण स्वीकृत और वितरित किए गए					लागू नहीं
4. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए टॉप-अप ऋण					लागू नहीं
5. वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण [(ई) + (एफ)]				लागू नहीं	लागू नहीं
(ई) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(एफ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
6. वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किए गए अनर्जक ऋण [(जी) + (एच)]				लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण	ऋण बकाया है		औसत टिकट का आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
(जी) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(एच) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के दौरान माफ किए गए ऋण [(आइ) + (जी)]				लागू नहीं	लागू नहीं
(आइ) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(जे) आय उत्पन्न करने वाले ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
8. वित्तीय वर्ष के अंत में समापन शेष [(के) + (एल)]					
(के) उपभोग ऋण					
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण					
(एल) आय उत्पन्न करने वाले ऋण					

नोट: (i) यह प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 में समय-समय पर संशोधित रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। सुगमता के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है।

ii) सोने के बदले लिए गए ऋणों और चांदी के बदले लिए गए ऋणों के लिए जानकारी अलग-अलग प्रकट की जा सकती है।

(iii) औसत एलटीवी अनुपात की गणना ऋण स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी के योग और ऐसे ऋणों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है।

(बी) सोने और चांदी की गिरवी और नीलामी का विवरण

क्रमांक	विवरण	
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में बिना दावे वाला सोना अथवा चांदी का गिरवी रखा गया सामान (ग्राम में)	
(बी)	उन ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी आयोजित की गई थी	
(सी)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया राशि	
(डी)	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भुगतान में चूक के कारण अर्जित सोने अथवा चांदी की गिरवी राशि (ग्राम में)	
(ई)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए सोने अथवा चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)	
(एफ)	चालू वित्त वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई वसूली (करोड़ रुपये में)	
(जी)	पुनर्प्राप्ति प्रतिशत:	
(एच)	सोने अथवा चांदी की गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में	
(आई)	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	

नोट:

- (i) बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025, में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्देशित होगा।
- (ii) गिरवी रखी गई संपत्ति का भार और मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार गणना की जाएगी।
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के तहत परिभाषित लावारिस सोने अथवा चांदी की संपार्श्विक संपत्ति।

¹[(viii) संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – अंक जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में
परिभाषित संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अ. संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋण		
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत किए गए ऋणों का कुल मूल्य		
2	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य		
3	दिनांक 31 मार्च को कुल अस्तित्व (एक्सपोज़र) के अनुपात में संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य (प्रतिशत में)		
4	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जिनका वर्गीकरण निम्न के रूप में है:		
	(i) दिनांक 31 मार्च को विशेष उल्लेख खाते		
	(ii) दिनांक 31 मार्च को निष्पादनकारी अचल परिसंपत्तियाँ		

¹ दिनांक 5 जनवरी, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी सम्मिलित।

5	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में प्रावधानों की राशि		
ब. संबंधित पक्षों से संबंधित अनुबंध एवं व्यवस्थाएँ			
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		
7	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		

]

(6) **जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और अनर्जक संपत्तियों का संकेंद्रण**

(i) **निक्षेपों का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि		
बैंक की कुल जमा राशि में से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत		

(ii) **अग्रिमों का संकेंद्रण ***

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए कुल अग्रिम		
बैंक के कुल ऋणों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों का प्रतिशत		

*ऋण राशि की गणना क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाएगी, जिसमें स्वीकृत और गैर-स्वीकृत सीमाएं शामिल होंगी, जहां लागू हो वहां डेरिवेटिव एक्सपोजर भी शामिल होगा। स्वीकृत सीमा अथवा बकाया राशि, जो भी अधिक हो, उसे गिना जाएगा। हालांकि, पूर्ण रूप से निकाले गए सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को पुनः निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक बकाया राशि को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में गिन सकता है।

(iii) **एक्सपोजरों जोखिमों की सांद्रता ****

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल जोखिम		
बैंक के कुल उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल ऋण में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति ऋण का प्रतिशत		

** एक्सपोजरों की गणना लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार की जाएगी।

(iv) **अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल जोखिम		
कुल सकल एनपीए के मुकाबले बीस सबसे बड़े एनपीए के जोखिम का प्रतिशत।		

(7) **व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)**

नोट: जो बैंक चालू और पिछले वर्ष दोनों में किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव लेनदेन नहीं कर पाए हैं, वे इन प्रकटीकरणोंको छोड़ सकते हैं और इसके बजाय यह प्रकटीकरण कर सकते हैं कि उन्होंने चालू और पिछले वर्ष दोनों में डेरिवेटिव में कोई लेनदेन नहीं किया है।

(i) **फॉरवर्ड दर समझौता/ ब्याज दर स्वेप**

विवरण	चालू वर्ष	(राशि ₹ करोड़ में) पिछला वर्ष
i) स्वेप समझौतों का नोशनल मूलधन ii) यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो होने वाली हानियाँ iii) स्वेप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक iv) स्वेप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण (उदाहरण के लिए, विशिष्ट उद्योगों के प्रति जोखिम, अथवा अत्यधिक कर्जदार कंपनियों के साथ स्वेप)। v) स्वेप बुक का उचित मूल्य (नोट - यदि स्वेप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों अथवा प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य अनुमानित होगा जो बैंक तुलन-पत्र की तिथि पर स्वेप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त करेगा अथवा भुगतान करेगा। ट्रेडिंग स्वेप के लिए उचित मूल्य उसका मार्क-टू-मार्केट मूल्य होगा।)		

नोट: क्रेडिट और बाजार जोखिम संबंधी जानकारी और स्वेप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों सहित स्वेप की प्रकृति और शर्तों का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

(ii) **एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की नोशनल मूल राशि (लिखत के अनुसार)		
ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की नोशनल मूल राशि ...(लिखत के अनुसार)		
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की नोशनल मूल राशि जो बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के हिसाब से)		
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स का मार्क टू मार्केट मूल्य, जो बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के हिसाब से)।		

(iii) **व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) में एक्सपोजर्स के बारे में प्रकटीकरण**

(ए) गुणात्मक एक्सपोजर्स

बैंक को डेरिवेटिव्स से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का प्रकटीकरण करना होगा, जिसमें डेरिवेटिव्स के उपयोग की सीमा, संबंधित जोखिम और उनके व्यावसायिक उद्देश्यों का विशेष उल्लेख होगा। इस प्रकटीकरण में निम्नलिखित भी शामिल होगा::

- (i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,
- (ii) जोखिम मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति,

- (iii) जोखिम को कम करने और / या उससे बचाव के लिए नीतियां और बचाव / निवारक उपायों की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं, और
- (iv) हेज और नॉन-हेज लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण।

(बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
ए)	डेरिवेटिव्स (नोशनल मूलधन राशि)				
	i) हेजिंग के लिए				
	ii) ट्रेडिंग के लिए				
बी)	बाजार मूल्य के अनुरूप स्थितियाँ ^[1]				
	i) आस्ति (+)				
	ii) देयता (-)				
सी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	i) डेरिवेटिव्स की हेजिंग पर				
	ii) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर				
डी)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 मान देखे गए।				
	i) हेजिंग के लिए				
	ii) ट्रेडिंग के लिए				

नोट: प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, निवल स्थिति को आस्ति अथवा देयता के अंतर्गत दर्शाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(8) जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए कोष) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	डीईए फंड में स्थानांतरित की गई शुरुआती शेष राशि		
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशि		
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि		
iv)	अंतिम शेष राशि डीईए फंड में स्थानांतरित कर दी गई।		
बैंक को यहां यह स्पष्ट करना होगा कि डीईए फंड में हस्तांतरित का समापन शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देनदारियां - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' अथवा 'आकस्मिक देनदारियां - अन्य' के अंतर्गत भी शामिल है, जैसा भी मामला हो।			

(9) शिकायतों का प्रकटीकरण

- (i) ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय) से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्रम संख्या		विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
	3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
		लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त हुई स्वीकार्य शिकायतें		
5.		लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त स्वीकार्य शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 शिकायतों में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या 5 है।		

क्रम संख्या		विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या 5 है।		
	5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या		
6.		निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णयों को छोड़कर)		
नोट: विचारणीय शिकायतों से तात्पर्य उन शिकायतों से है जो एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर आधारित हैं और योजना के दायरे में आती हैं।				

(ii) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात्, संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					
पिछला वर्ष					
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					

शिकायतों के आधार, (अर्थात्, संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					

नोट: बैंकों की शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने संबंधी [परिपत्र दिनांक 27 जनवरी 2021 सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि.सं.01/13.01.013/2020-21](#) के परिशिष्ट 1 में दिए गए शिकायतों के आधारों की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार।

1. एटीएम / डेबिट कार्ड	2. क्रेडिट कार्ड	3. इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	4. खाता खोलना / खातों के संचालन में कठिनाई
5. गलत बिक्री / पैरा-बैंकिंग	6. वसूली एजेंट / प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	7. वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन और सुविधाएं	8. ऋण और अग्रिम
9. बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क लगाना / संपत्ति ज़ब्ती शुल्क लगाना	10. चेक / ड्राफ्ट / बिल	11. निष्पक्ष व्यवहार संहिता का पालन न करना	12. सिक्कों का विनिमय, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों का निर्गमन/स्वीकृति
13. बैंक गारंटी / साख पत्र और दस्तावेजी साख	14. स्टाफ का व्यवहार	15. शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं / शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का पालन आदि।	16. अन्य

(10) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, और (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने के लिए) के प्रावधानों के तहत लगाए गए दंडों का

प्रकटीकरण संबंधित बैंक की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन-पत्र के 'खातों के नोट्स' में किया जाएगा।

- (ii) बैंक उल्लंघन की प्रकृति, चूक के मामलों की संख्या और लगाए गए दंड की मात्रा के संबंध में उचित प्रकटीकरण करेगा।
- (iii) रिवर्स रेपो लेनदेन में चूक करने वाला भागीदार वित्तीय वर्ष के दौरान चूक के मामलों की संख्या के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए जुर्माने की राशि का उचित प्रकटीकरण करेगा।

(11) अन्य प्रकटीकरण

(i) व्यावसायिक अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹		
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय ¹		
iii) जमा राशि की लागत		
iv) निवल ब्याज मार्जिन ²		
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ¹		
vi) आस्तियों पर प्रतिफल ³		
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) ⁴ (₹ करोड़ में)		
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ रुपये में)		

¹ कार्यशील निधि की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान सहकारी बैंकों के लिए प्रपत्र IX में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित की गई कुल आस्तियों (यदि कोई संचित हानि हो तो उसे छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी।

² निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय / औसत ब्याज अर्जित करने वाली संपत्तियां, जहां निवल ब्याज आय = ब्याज आय – ब्याज व्यय।

³ आस्तियों पर प्रतिफल की गणना औसत कार्यशील निधि (अर्थात् संचित हानियों को छोड़कर आस्तियों का कुल योग) के संदर्भ में की जाएगी।

⁴ प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से, अंतर-बैंक जमा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) बैंक बीमा व्यवसाय

किसी बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण चालू वर्ष और पिछला वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

(iii) विपणन एवं वितरण

बैंक को अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्यों (बैंक बीमा व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण प्रकट करना होगा।

(iv) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान		
ii) एनपीए के लिए प्रावधान		
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान		
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)		

(v) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

² बैंक वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा करेगा कि 'लागू बीमा प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को किया गया था'। यदि बैंक ने आवश्यक समयसीमा के अनुसार भुगतान नहीं किया है, तो इसका भी खुलासा किया जाएगा।]

(vi) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण

बैंक को निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों अथवा फर्मों जिनमें उनकी रुचि है, को दी गई किसी भी प्रकार की निधि अथवा गैर-निधि (गारंटी, साख पत्र आदि) सुविधाओं का प्रकटीकरण करना होगा।

² दिनांक 16 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) – द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी प्रतिस्थापित।

अध्याय-IV अन्य निदेश

ए. अंतर-शाखा खाता - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान

11. बैंक को अंतर-शाखा खाता प्रविष्टियों के मिलान न होने पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- (1) बैंक अंतर-शाखा खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करेगा और उन्हें एक अलग 'अवरुद्ध खाते' में स्थानांतरित करेगा जिसे 'अन्य देनदारियां - सस्पेंस' के अंतर्गत दिखाया जाएगा।
 - (2) अवरुद्ध खाते से कोई भी समायोजन केवल दो अधिकारियों के प्राधिकरण से ही अनुमत होगा, जिनमें से एक नियंत्रक / प्रधान कार्यालय से होना चाहिए, यदि एक लाख रुपये से अधिक है।
 - (3) नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य से अवरुद्ध खाते में शेष राशि को देयता के रूप में माना जाएगा।
 - (4) बैंक अंतर-शाखा खातों के माध्यम से किए गए विभिन्न प्रकार के लेन-देनों के लिए श्रेणीवार (शीर्षवार) खाते रखेगा, ताकि श्रेणीवार नेटिंग की जा सके। तुलन-पत्र की तिथि पर, बैंक छह महीने से अधिक समय से असमाधानित डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करेगा और अवरुद्ध खाते में शेष राशि को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार निवल स्थिति निकालेगा।
 - (5) अंतर-शाखा खातों की सभी श्रेणियों के अंतर्गत निवल डेबिट को एकत्रित किया जाएगा और कुल निवल डेबिट के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाएगा।
- बशर्ते कि बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एक श्रेणी में निवल डेबिट को दूसरी श्रेणी में निवल क्रेडिट के विरुद्ध समायोजित न किया जाए।*

बी. नोस्ट्रो खाते का मिलान और बकाया प्रविष्टियों का निपटान

12. बैंक के नोस्ट्रो खातों में बकाया प्रविष्टियों का निपटान निम्नानुसार होगा।

- (1) बैंक मिलान पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाएगा तथा वास्तविक समय मिलान की एक प्रणाली स्थापित करेगा, जो किसी भी अंतर की तत्काल पुष्टि प्रदान करती है।
- (2) शीर्ष प्रबंधन द्वारा नोस्ट्रो खातों में लंबित मदों की थोड़ी-थोड़ी देर में बारीकी से निगरानी की जाएगी।
- (3) नोस्ट्रो खातों में तीन साल से अधिक समय से बकाया सभी असमायोजित क्रेडिट प्रविष्टियों को एक अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और बकाया देनदारियों के रूप में दिखाया जाएगा।
- (4) अवरुद्ध खाते में शेष राशि को सीआरआर / एसएलआर के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।
- (5) बैंक नोस्ट्रो खातों में सभी असमाधानित डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रावधान करेगा, जो दो साल से अधिक समय से बकाया हैं।

सी. आरक्षित निधि में अंतरण / आरक्षित निधि से विनियोजन

13. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) और 56 के अनुसार, बैंक को लाभ और हानि खाते में प्रकट लाभ के शेष में से, ऐसे लाभ के 20 प्रतिशत से कम नहीं, के बराबर राशि आरक्षित निधि में हस्तांतरित करनी होती है।
14. जब तक मौजूदा नियमों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, बैंक सांविधिक आरक्षित निधि अथवा किसी अन्य आरक्षित निधि से कोई भी विनियोजन करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा।
15. बैंक को आगे यह सलाह दी जाती है कि:
 - (1) किसी अवधि में मान्यता प्राप्त सभी व्यय, जिनमें प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए व्यय शामिल हैं, चाहे वे अनिवार्य हों अथवा विवेकपूर्ण, उस अवधि के लाभ और हानि खाते में 'ऊपर की पंक्ति' मद के रूप में दर्शाए जाएंगे (अर्थात्, वर्ष के निवल लाभ/हानि की गणना से पहले);

- (2) भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से, आरक्षित निधियों से आहरण केवल 'रेखा से नीचे' (अर्थात्, वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि की गणना करने के बाद) ही की जाएगी; और
- (3) तुलन-पत्र के 'खातों पर नोट्स' में ऐसे आहरण का उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (4) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, कोई बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना, शेयरों के निर्गमन व्यय को पूरा करने के लिए शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग उस सीमा तक कर सकता है जहाँ तक कि ऐसे व्यय लेनदेन से सीधे संबंधित वृद्धिशील लागतें हों जिन्हें अन्यथा टाला जा सकता था।

बशर्ते कि शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग ऋण लिखतों के निर्गमन से संबंधित व्ययों को बट्टे खाते में डालने के लिए नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस निदेश के प्रयोजनों के लिए, जारी करने संबंधी व्यय में पंजीकरण और अन्य नियामक शुल्क, कानूनी, लेखांकन और अन्य पेशेवर सलाहकारों को किए गए भुगतान, मुद्रण लागत और स्टाम्प शुल्क शामिल होंगे।

डी. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

16. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान के संबंध में, जिस बैंक ने निर्धारित समय के भीतर धोखाधड़ी की सूचना दी है, उसे धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होकर अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में इसके लिए प्रावधान करने का विकल्प होगा।
17. जहां बैंक धोखाधड़ी के लिए दो से चार तिमाहियों में प्रावधान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक वित्तीय वर्ष में पूर्ण प्रावधान किया जाता है, तो लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, यह सांविधिक आरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य आरक्षित निधियों को डेबिट कर सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत में प्रावधानों में जमा करके शेष प्रावधान को डेबिट किया जा सकता है।

बशर्ते कि वह बाद में आरक्षित निधियों से की गई कटौती को आनुपातिक रूप से उलट दे और अगले वित्तीय वर्ष की क्रमिक तिमाहियों में लाभ और हानि खाते से कटौती करके प्रावधान को पूरा करे।

18. यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी हुई है, तो संपूर्ण प्रावधान तुरंत किया जाना आवश्यक है।

ई. असमाधानित शेष राशियाँ

19. किसी भी अस्थायी खाते में असमाधानित क्रेडिट शेष राशि, जो कि दावा न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है, को लाभ और हानि खाते अथवा किसी भी आरक्षित निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल)

20. बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के लिए प्रावधान करेगा।

जी. निदेशकों को शुल्क और भत्तों का भुगतान

21. बोर्ड की बैठकों के संचालन पर होने वाले सभी खर्चों को लाभ और हानि खाते की मद संख्या 3, यानी 'निदेशक और स्थानीय समिति सदस्य - शुल्क और भत्ते' के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। ऐसे खर्चों में निदेशकों और स्थानीय समिति सदस्यों को वास्तव में भुगतान की गई राशि के साथ-साथ उनकी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की गई राशि भी शामिल होगी।

एच. विंडो ड्रेसिंग

22. बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता उसकी वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें।

23. वित्तीय विवरणों की विंडो ड्रेसिंग, कम प्रावधान, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का गलत वर्गीकरण, एक्सपोज़र / जोखिम भार की कम रिपोर्टिंग / गलत गणना, व्ययों का गलत पूंजीकरण, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज का पूंजीकरण, वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों और देनदारियों को जानबूझकर बढ़ाना और अगले वित्तीय वर्ष में तुरंत उलट देना आदि मामलों को गंभीरता से देखा जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

अध्याय-V निरसन एवं अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

24. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू वित्तीय विवरणों - प्रस्तुति और प्रकटीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी..302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।
25. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशा-निर्देशों के तहत की गई अथवा की जाने वाली मानी गई कोई भी कार्रवाई, अथवा आरंभ की गई कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियाँ अथवा अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशा-निर्देशों के निरसन का किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

क. कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता जो उसके तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत की गई;

ख. इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती अथवा दंड;

ग. उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, दंड, ज़ब्ती अथवा सज़ा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है अथवा लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, ज़ब्ती अथवा सज़ा इस

प्रकार लगाया जा सकता है मानो वे निदेश, आदेश अथवा दिशानिर्देश निरस्त नहीं किए गए हों।

बी. अन्य कानूनों को लागू करना प्रतिबंधित नहीं है।

26. इन निदेशों के प्रावधान, उस समय लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम अथवा निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका उल्लंघन करने वाले।

सी. व्याख्याएं

27. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अथवा इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग अथवा व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)

मुख्य महाप्रबंधक